न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00371 (243/2018)225 आरटीएक्ट

शम्भूसिंह पुत्र. नाहर सिह जाति राजपूत निवासी मलवानी तहसील नोहर। –अपीलाण्ट

बनाम

1. सत्यनारायणसिंह पुत्र रामचन्द्र तथाकथित पुत्र नाहर सिंह जाती राजपूत निवासी 16 के.डी.बी तहसील घड़साना राजस्थान।
2. शान्ति कुंवर पत्नी रामचन्द तथाकथित पत्नी नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी रावला तहसील घड़साना राजस्थान।
3. कृष्णसिंह उर्फ शंकरसिह पुत्र रामचन्द्र तथा कथित पुत्र नाहरसिह जाति राजपूत निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
4. रूकमण कंवर पुत्री रामचन्द्र तथा कथित पुत्र नाहर सिह पत्नी गणेश सिंह जाति तथा कथित निवासी चक 18 के.डी.बी. तहसील घड़साना
5. रामधन उर्फ छोटू पुत्र रामचन्द्र तथा कथित पुत्र नाहर सिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर । –रेस्पोडेण्ट
6. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 नाहर सिंह जाति राजपूत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. नानन्द कंवर पत्नी स्व0 नाहर सिंह जाति राजपूत निवासी मलवानी तहसील नोहर
8. मनोहरसिह पुत्र स्व0 नाहर सिंह जाति राजपूत निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर उपपंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर । –फोर्मल रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 19.06.2018 उपखण्ड अधिकारी नोहर, जिला हनुमानगढ प्रकरण संख्या 18/2018 बअनवानी सत्यनारायण बनाम नोनद कंवर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः–
श्री महेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री भरतसिंह बेनीवाल रेस्पोडेण्ट संख्या 6, 7, 8
श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः–08.05.2019

1. उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता सं0 84/73 के कुल 2.4665 है. भूमि व 88/72 के 9.01495 दोनों खातों की 11.45145 है. भूमि जो मृतक नाहर सिंह वल्द गोविन्द सिंह के हिस्सा की भूमि है को गैरसायलान सं0 1 ता 9 किसी भाग को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करने व मौका रिकार्ड की यथास्थिति में अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

अपीलाधीन आदेश के द्वारा वाद के निस्तारण तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रसारित किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध है एवं एकपक्षीय आदेश है। पत्रावली में तलबी हेतु पेशी मुकर्रर थी, जिसमें अपीलाण्ट व रस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 8 को बिना तलब किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट का रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 8 से कोई सम्बन्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा सत्यनारायण बनाम मोहर सिह विचाराधीन था। दरख्वास्त की मद संख्या 1 में रेस्पोडेण्ट ने ये नही लिखा कि वाद विचाराधीन है। बल्कि यह दर्शाया है कि सत्यनारायण बनाम नोनद कंवर दावा पेश किया जा चुका है, परन्तु इस अनवान का कोई दावा विचाराधीन हीं नहीं था। जब तक दावा में मृतक के वारिसान को पक्षकार नही बनाया जाता तब तक कोई स्थगन नही दिया जा सकता था। अदालत को गुमराह कर सत्यनारायण बनाम नाहरसिंह का दावा होने के कारण प्रार्थना–पत्र में नया वाद सत्यनारायण बनाम नोनद पेश होने का तथ्य गलत अंकित कर अपीलाधीन निर्णय से गलत रूप से स्थगन प्राप्त किया है। अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत है जो खारिज किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 8 ने अपनी बहस में अपीलाण्ट के कथनों का समर्थन किया एवं अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के अनुसार पारित करने का कथन किया।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत वाद पत्रावली संख्या 79/2010 उनवानी सत्यनारायण बनाम नाहर सिंह की फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रति पेश की है एवं आवेदन पत्र 212 प्रकरण संख्या 45/2010 बअनवानी सत्यनारायण बनाम नाहर सिंह की आदेशिका दिनांक की प्रमाणित प्रतियॉ मय आवेदन पत्र 212 आरटीएक्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। जो अपील के निस्तारण में सहायक दस्तावेज हैं एवं प्रमाणित प्रतियॉ हैं। अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है।

8. जहां तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है। अपीलाण्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि दावा सत्यनारायण सिंह बनाम नाहरसिंह आदि प्रकरण संख्या 79/2010 जो 18.06.2010 को प्रस्तुत हुआ था उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र संख्या 45/2010 भी प्रस्तुत हुआ था। जो विचारण न्यायालय के द्वारा 30.10.2015 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र नही चलाये जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया, तत्पश्चात् रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दिनांक 7.3.2018 को पुनः एक आवेदन पत्र अस्थाई निषधाज्ञा सत्यनारायण बनाम नोनन्द कंवर वगैरह प्रस्तुत किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील में प्रस्तुत नकल फर्द अहकाम वाद जिसमें वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 79/2010 में दिनांक 28.02.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 के फौत होने पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं आगामी पेशी 16.03.2018 को आवेदन पत्र के जवाब हेतु दावा की पत्रावली में पेशी 27.06.2018 अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि नाहरसिंह के वारिसान को दिनांक 27.06.2018 तक अभिलेख पर नहीं लिया गया था, परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने नये सीरे से एक अन्य आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट में दिनांक 07.3.2018 को नाहर सिंह के वारिसान को नाम अंकित करते हुए प्रस्तुत कर इस आवेदन पत्र में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 8 एवं अन्य रेस्पोडेण्ट को तलब किये बिना ही एकपक्षीय स्थगन जो 07.03.2018 को प्राप्त कर लिया। उसके बाद इस आदेश को अपीलाधीन निर्णय से रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने की हद तक ताफैसला वाद कन्फर्म करवा दिया। पत्रावली की प्रथम फर्दअहकाम में एकपक्षीय स्थगन जारी करते समय अप्रार्थी को तलब करने के आदेश भी नहीं दिये गये है। अपीलार्थी/अप्रार्थी के नोटिस जारी होने नहीं पाये जाते हैं ना ही उनकी तरफ से किसी की उपस्थिति दर्ज है, जिससे प्रतीत होता है कि एकपक्षीय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि सुनवाई एवं जवाब का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश 19.06.2018 को निरस्त किया जाता है प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सुनवाई एवं जवाब का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र के गुणावगुण के आधार पर निर्णय तक दिनांक 07.03.2018 को जारी स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.07.2019 को उपस्थित हों। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

08/5/19

(मूलचन्द, आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official